

(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF THE DELHI GAZETTE – EXTRAORDINARY

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS)
8TH LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI

No. F.14(8)/LA-2009/10000/86-95

Dated the 09th March, 2009

NOTIFICATION

F.14(8)/LA-2009/ -The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt.Governor of Delhi on the 4th March, 2009 and is hereby, published for general information:-

**“The Delhi Appropriation (Vote on Account) Act, 2009
(Delhi Act 4 of 2009)**

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 25th February, 2009)

[4th March, 2009]

An Act to authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the months of April to June, 2009.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows: -

Short title .

1. This Act may be called the Delhi Appropriation (Vote on Account) Act, 2009.

**Vote on Account for
Rs. 5760,75,00,000/-
out of the
Consolidated Fund of
the National Capital
Territory of Delhi for
the months of
April to June, 2009.**

2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (5) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of rupees five thousand seven hundred sixty crore and seventy five lakh towards vote on account for defraying the several charges which will come in the course of payment during the months from April to June, 2009 in respect of the services specified in column(2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said period.



THE SCHEDULE
(See sections 2 and 3)

(Rs. in thousands)

DEMAND NO.	SERVICES AND PURPOSES		Total
	Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	

1	2	3	4	5
1	Revenue	24375	1450	25825
2	Revenue	268975	18800	287775
3	Revenue	508050	216375	724425
4	Capital	2500	50	2500
5	Revenue	511650	925	512575
6	Capital	1250	0	1250
7	Revenue	7845475	1525	7847000
8	Capital	371250	0	371250
9	Revenue	4287200	900	4288100
10	Capital	0	0	0
11	Revenue	1939100	0	1939100
12	Capital	7597150	0	7597150
	Revenue	699450	100	699550
	Capital	10625	0	10625
	Revenue	908175	900	909075
	Capital	518500	125	518625
	Revenue	9623300	225	9623525
	Capital	13004775	0	13004775
	Capital	0	0	0
	Revenue	0	0	0
	Capital	0	0	0
	Revenue	1838050	0	1838050
	Capital	0	0	0
	Revenue	5000	0	5000
	Capital	48687350	8920150	57607500




 Joint Secretary (Law, Justice & L.A.)
 (Savita Rao)

दिल्ली राजपत्र के भाग - 4 असाधारण में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग
8वां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली

संख्या फा0 14/(8)/एल.ए. 2009/एल.सी.सी./86-95

दिनांक 09 मार्च, 2009

अधिसूचना

संख्या फा0 14 (8)/एल.ए. 2009/
अनुमति के पश्चात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जनसाधारण
की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :-

“दिल्ली विनियोग (लेखा अनुदान) अधिनियम, 2009
(2009 का दिल्ली अधिनियम संख्या 04)

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा द्वारा 25 फरवरी, 2009 को यथपारित)

(04 मार्च, 2009)

अप्रैल से जून, 2009 माह से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की
संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप
में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त शीर्षक ।

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग
(लेखा अनुदान) अधिनियम, 2009 है।

5760,75,00,000/- रुपयों का (2)
लेखा अनुदान अप्रैल से
जून, 2009 माह के लिये
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
की संचित निधि में से
प्रदत्त और प्रयुक्त ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से
प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5)
में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की
अदायगी के लिए पांच हजार सात सौ साठ करोड़
पचहत्तर लाख रुपयों की कुल राशि के बराबर
है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के
सम्बन्ध में अप्रैल से जून, 2009 माह की अवधि के
दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होगी।

विनियोजन ।

(3) इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त
किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के
सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों
के लिए विनियोजित है।

अनुसूची
(धाराएं 2 व 3 देखें)

(रुपये हजारों में)

राशी इससे अधिक नहीं

मांग संख्या	सेवार्य एवं उद्देश्य	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	संचित निधि पर भारित	जोड़
1	2	3	4	5
1	विधान मंडल	राजस्व		
2	सामान्य प्रशासन	राजस्व	24375	1450
3	न्याय प्रशासन	राजस्व	268975	18800
4	वित्त	राजस्व	508050	216375
		राजस्व	560550	50
5	गृह	पूंजी	2500	0
		राजस्व	511650	925
6	शिक्षा	पूंजी	1250	0
		राजस्व	7845475	1525
7	चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य	पूंजी	371250	0
		राजस्व	4287200	900
8	समाज कल्याण	पूंजी	0	0
		राजस्व	1939100	0
9	उद्योग	पूंजी	7597150	0
		राजस्व	699450	100
10	विकास	पूंजी	10625	0
		राजस्व	908175	900
11	शहरी विकास एवं लोक निर्माण	पूंजी	518500	125
		राजस्व	9623300	225
	सार्वजनिक ऋण	पूंजी	13004775	0
		राजस्व	0	6840725
12	ऋण	पूंजी	0	1838050
		राजस्व	0	0
		पूंजी	0	0
		5000	0	5000
	जोड़			
		48687350	8920150	57607500

सविता राव

(सविता राव)

संयुक्त सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)